Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में पुलिस विभाग का सहायक उप निरीक्षक एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को 6 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 मई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये कुलविन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस चौकी सेतिया फार्म पुलिस थाना कोतवाली जिला श्रीगंगानगर एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) विक्की सेतिया उर्फ दागी को परिवादी से **6 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके दो पुत्रो के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रकरण में एक पुत्र का नाम निकालने की एवज में कुलविन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस चौकी सेतिया फार्म पुलिस थाना कोतवाली जिला श्रीगंगानगर द्वारा 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंगला** के निर्देशन में श्रीगंगानगर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री वेदप्रकाश लखोटिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय **श्री भूपेन्द्र सोनी, उप अधीक्षक पुलिस व श्री विजेन्द्र शीला, पुलिस निरीक्षक** व टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री शिगारा सिंह, निवासी वीपीओ, धालेवाला, तह. व जिला श्रीगंगानगर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी सेतिया फार्म, पुलिस थाना कोतवाली, जिला श्रीगंगानगर को दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) विक्की सेतिया उर्फ दागी पुत्र श्री तीरथ कुमार सेतिया, निवासी गली नं. 4 रामलाल कॉलोनी एसएसबी रोड़ श्रीगंगानगर के मार्फत परिवादी से **6 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियान द्वारा परिवादी से 4 हजार रूपये की रिश्वत राशि पूर्व में सत्यापन के दौरान प्राप्त की गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।